

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या-7 / न०वि० / हो०टैक्स-102 / 2013 / राँची, दिनांक- /
 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 द्वारा प्रदत्त शब्दितयों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के अध्याय -17 सह पठित धारा-152 की उपधारा (3) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में अवशिष्ट सम्पत्तियों के वार्षिक कर निर्धारण तथा वसूली हेतु 'झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013' अधिसूचित करते हैं।

यह नियमावली 01 अप्रैल 2014 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

₹०/-

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -7 / न०वि० / हो०टैक्स-102 / 2013 राँची, दिनांक
 प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 2. प्रकाशनोपरान्त नियमावली की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

₹०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -7 / न०वि० / हो०टैक्स-102 / 2013 दिनांक
 प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

641 (अंत) ₹०/- सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -7 / न०वि० / हो०टैक्स-102 / 2013 - दिनांक 17-02-14
 प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आगुका, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालग पदाधिकारी एवं विशेष पदाधिकारी सभी शहरी रथानीय निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५३)

झारखण्ड सरकार
जागर पिकास विभाग

झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 152 की उपधारा (3) एवं धारा 590 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं के भीतर अवस्थित सम्पत्तियों के वार्षिक कर निर्धारण हेतु झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 एतद द्वारा अधिसूचित करते हैं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

- 1.1 यह नियमावली "झारखण्ड सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013" कही जा सकेगी;
 - 1.2 इसका विस्तार, राज्य के अन्तर्गत सैनिक छाती शेत्रों को छोड़कर संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा;
 - 1.3 यह नियमावली झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होगी ;
- 2. परिचालनाएँ :** यदि तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-
- 2.1 "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 तथा इसके अध्यतन संशोधन;
 - 2.2 "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
 - 2.3 "वार्षिक किराया मूल्य" से अभिप्रेत है सकल वार्षिक किराया, जिस क्रम में किसी धृति (होलिंग) पर युक्तिसंगत रूप से किराया लगाया जा सकेगा;
 - 2.4 "कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 (47) के अनुसार नगर परिषद / नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी;
 - 2.5 "नगर आयुक्त" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 (67) के अनुसार नगर निगम का नगर आयुक्त;
 - 2.6 "वाणिज्यिक धृति (कॉमर्शियल होलिंग)" से अभिप्रेत है ऐसी कोई धृति या धृति का नाम, जिसका उपयोग सामान की घोक अथवा खुदरा विक्री या प्रदर्शन के लिए दुकान या बाजार के रूप में, सामान की विक्री से संबद्ध कार्यालय, मंडारण तथा सेवा-सुविधाओं के लिए किया जाता हो और जो उसी धृति पर अवस्थित हो तथा इसमें किसी धृति का वह भाग, जो हेसा भाग खुली छत हो या खाली भूमि, जो संचार / मोबाइल टायर एवं उसके सहायक मशीन तथा विज्ञापन से संबंधित होलिंग या बोर्ड के द्वारा आच्छादित हो, अथवा लाभ के लिये किसी प्रकार के गैर आवासीय प्रयोग में लाया जाता हो;
 - 2.7 "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से हुरू होने वाला तथा अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
 - 2.8 "धृति (होलिंग)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 (55) द्वारा परिभाषित धृति एवं इस नियमावली में "धृति" एवं "संपत्ति" शब्दों का उपयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में माना जाएगा;
 - 2.9 "औद्योगिक धृति" के अन्तर्गत ऐसी कोई धृति या धृति का भाग अथवा संरचना सम्मिलित होगी, जिसमें सभी प्रकार के उत्पाद या उत्पादी तथा संपत्ति या निर्माण, पुरजों की जोड़ाई या प्रसंस्करण विधि जाता हो, यथा पुरजा जोड़ाई संयंक्र, प्रयोगशाला, कर्जा संयंक्र, धूमगूह, तेलशोधक, गैस संयंक्र,

- 2.10 "नगरपालिका" से अभिप्रेत है किसी स्वशासी संस्था, जिसका गठन भारत संविधान के अनुच्छेद 'Q' के, जाथ परित धारा 12 के अधीन किया गया हो तथा इसमें धारा 13 में निर्दिष्ट नाम १८
- नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं;
- 2.11 "सम्पति कर पर्वद" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 153 के अधीन यथा गठित पर्वद, दैनिक में प्रकाशित;
- 2.12 "प्रकाशन" से अभिप्रेत है नगरपालिका क्षेत्र में प्रमुखता से पढ़ा जानेवाला एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी नाम जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं;
- 2.13 "खाली भूमि" से अभिप्रेत है विशासत, क्रय, उपहार के माध्यम अथवा अन्यथा अर्जित भूमि, जिसका वर्णन का निर्माण नहीं किया गया हो तथा इसमें किसी भवन की ऐसी अनुलग्न भूमि, जो उपयोगिता के अधीन अनुशेष भूमि—आच्छादन से अधिक हो;
- 2.14 अधिनियम में परिभाषित तथा इस नियमावली में प्रयुक्त सभी शब्दों एवं अनियन्त्रितों के बारे में डोरे, जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं;
- 2.15 "भवन" से अभिप्रेत है सभी प्रयोजन को लिए और किसी भी सामग्री से निर्मित ढांचा तथा इसमें भी कुर्सी, दीवारें, छत, धिमनी, अचर चबूतरे, बरामदा, बालकानी, कारानिस या प्रदोण (प्रोटोक्लान) आदि भवन का भाग या उससे लगा कुछ भी या तीन गीटर ऊँचाई से कम की घटारवीयारी से भिन्न घोरने वाला या घोरने के लिए इच्छित अन्दर कोई दीवार, कोई भूमि, संकेत या वाहय प्रदर्शन संस्थाना, किन्तु इनमें शामिल या तिरपाल का भरणगृह शामिल नहीं है,
- 2.16 "नियंत्रक" को किसी अनुगंडल की चीमाओं के भीतर समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के बारे में भागिता है कि अनुमष्ठल का प्रभारी अनुमष्ठल अधिकारी और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आरखा ५ भवन (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 के अधीन नियंत्रक के फृत्तों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी;
- 2.17 "झोपड़ी" से अभिप्रेत है कोई भवन, जिसका फर्श या कर्ह के सारे के ऊपर के पचास सेटीगीहर वाले ऊँचाई तक की दीवार को छोड़कर, कोई भी यथोष्ट भाग, जो ईंट-पत्थर, गुदूँकूत कालीट, स्टील लोहा या अन्य धातु से निर्मित न हो;
- 2.18 "परिसर" से अभिप्रेत है कोई भूमि या भवन या किसी भवन का भाग या झोपड़ी या किसी झोपड़ी का
- (क) बगीचा, मैदान, उपगृह, यदि कोई हो, जो उससे सटा हुआ हो, और
- (ख) किसी भवन या भवन के भाग से या झोपड़ी के भाग से लगा जुड़नार या स्थावर पदार्थ जो उसके अधिक लाभकारी उपयोग के निर्मित हो;
- 2.19 "धार्मिक स्थल" से अभिप्रेत है ऐसा भवन/परिसर, जिसका उपयोग मात्र धार्मिक कार्यों हेतु होता हो तथा ऐसे भवन/परिसर से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाता हो;
- 2.20 "चवित किराया" से अभिप्रेत है आरखण्ड भवन (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 के अधीन किसी मकान का अवधारित या पुनः अवधारित किराया;
3. घृतियों का वर्गीकरण :
- 3.1 नगरपालिका क्षेत्र की घृतियों का वर्गीकरण नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा;
- 3.1.1 घृतियों की अवस्थिति :
- (i) प्रधान मुख्य सङ्कक पर अवधित ...
 - (ii) मरमा ...

(ii)

किसी सम्पत्ति के एक से अधिक सङ्कर पर अवस्थित होने की दशा में मुख्य सङ्कर पर प्रधान मुख्य सङ्कर तथा अन्य सङ्करों पर मुख्य सङ्कर अभिमानी होगी;

नगरपालिकाएँ ऐसे गणकरण की अंतिम प्रभावी तारीख से प्रत्येक पौंच वर्षों पर नगरपालिका कोत्र की सङ्करों के गणकरण को अद्यतन करेगी और प्रधान मुख्य सङ्कर, मुख्य सङ्कर के साथ-साथ अन्य सङ्करों की ऐसी पुनरीक्षित सूची नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुसोदनोपरान्त प्रकाशित करेगी।

3.1.2 धृतियों का उपयोग :

- (i) पूर्णतः आवासीय
- (ii) पूर्णतः वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक (याहे स्थानित में हो या अन्यथा)
- (iii) अंशतः आवासीय एवं अंशतः वाणिज्यिक / औद्योगिक
- (iv) उपखण्ड (i), (ii) और (iii) से भिन्न सभी धृतियां

किसी सम्पत्ति का उपयोग अंशतः आवासीय तथा अंशतः वाणिज्यिक या औद्योगिक किए जाने तक स्थिति में आवासीय अथवा वाणिज्यिक या औद्योगिक क्षेत्रों की अलग-अलग मापी ती पाएगी और धृति के विभिन्न उपयोग की सुसंगत दरों के आधार पर वार्षिक किशाया मूल्य का आकलन किया जाएगा।

परन्तु यह कि संचार/मोबाइल टावर एवं उनकी जहायक मरीनों तथा विज्ञापन होर्डिंग/बोर्ड से आवासित धृति के क्षेत्र को पूर्णतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के रूप में माना जाएगा, याहे वह क्षेत्र छत हो या खुली/खाली भूमि हो।

परन्तु यह भी कि यदि किसी धृति की छत या कोई खाली जमीन को आवासीय उपयोग के अलावा किसी अन्य प्रयोग में लाया जाता है तो धृति के उस भाग को पूर्णतः वाणिज्यिक समझा जाएगा।

3.1.3 धृतियों के निर्माण के प्रकार :

- (i) आर०सी०सी०/आर०सी० छत चाला पक्का मकान
- (ii) एसबैस्टस/नालीदार (फॉरेंटेड) चादर/पत्थर या अन्य स्थायी सामग्री याला छतवार पक्का मकान
- (iii) अन्य सभी मकान, जो उपखण्ड (i) एवं (ii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

3.1.4 अधिगोग के प्रकार :

- (i) स्वर्य हेतु अधिगोग
- (ii) किशाएदार के द्वारा अधिगोग

3.1.4.1 यदि कोई धृति अथवा इसका कोई अंश किशाएदार के उपयोग हेतु अधिगोग में हो तो ऐसी धृति के किशाएदार के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे अंश के लिए ऐसे भवन हेतु 1.5 (एक दशमलव पौंच) के गुणक का अनुप्रयोग करते हुए वार्षिक किशाया मूल्य का निर्णय किया जाएगा,

3.1.5 धृतियों के गैर-आवासीय उपयोग के प्रकार :

- (i) होटल, रेस्टरां, बार, हेल्प केंट्र, व्यायामशाला, सिनेमा घर, पियाह-हॉल, बल्य, अतिथिशाला एवं मनोरंजन के सभी स्थाल,
- (ii) दुकान, शो-लम, गोदाम,
- (iii) वाणिज्यिक कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं परिवर्या गृह (नर्सिंग होम), औषधालय, प्रयोगशाला,
- (iv) सरकारी कार्यालय तथा उपक्रम,
- (v) वर्सोर्स सर्टिफिकेट

- (vii) निर्धन, शारीरिक लप से अक्षम, महिलाओं तथा बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी पूर्ति न्यासों द्वारा न लाभ न हानि के आधार पर संधालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान।
- (viii) धार्मिक रथल,
- (ix) ऐसे गतिविधि जो समय-समय पर सर्विस सेवटर/इडस्ट्रीयल सेवटर एक्टीविटीज के लप में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
- (x) ऐसे इकोगोनी एक्टीविटीज जो उपरोक्त काडिको (ix) में अन्वादित न हो, लेकिन वापिस कर के दायरे में टैक्सेवल हो, वह भी शामिल होगा।

4. गैर-आवासीय उपयोग में लायी जा रही किसी धृति के कर निर्धारण के लिए उनके वार्षिक किसाया मूल्य निम्नांकित तालिका में दर्ज गुणकों से गुण किया जाएगा :

| क्र० | गैर-आवासीय कर के प्रकार | गुणक |
|------|--|------|
| I | होटल, बार, बलब, हेल्थ कलब, जिमनाजियम, विवाह-हॉल | 3 |
| II | दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले) | 1.5 |
| III | दुकान (क्रमांक II के अतिरिक्त), शो-रूम, शौचिंग नॉल, विवाह-हॉल सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला, वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कार्यालयों के कार्यालय, वैक निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम, | 2.5 |
| IV | उद्योग, कार्यशाला, गोदाम, वैयर हाउस | 2.5 |
| V | राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के वाणिज्यिक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न प्रतिष्ठान एवं उपकरण | 2 |
| VI | कोर्चिंग क्लासेज, गार्डिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र/छात्रावास | 1.5 |
| VII | राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय, जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या उपकरण नहीं हैं | 0.75 |
| IX | निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, उनके छात्रावास, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास | 1.5 |
| X | धार्मिक स्थल | 0 |
| XI | निर्धन शारीरिक लप से अक्षम, महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थी पूर्ति न्यासों न लाभ न हानि के आधार पर संधालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान। | 0.5 |
| XII | I से XI तक के अधीन अनाचारित कोई अन्य धृति | 1.5 |

परन्तु नियम-4 के क्रमांक-(VIII) से अन्वादित केन्द्र एवं राज्य सरकार के दैसे कार्यालय प्रतिष्ठान, जो गैर व्यवसायी प्रवृत्ति के हों, उन्हे होल्डिंग से छूट होगी। परन्तु उनसे सेवा शुल्क जायेगा, जो उस होल्डिंग के लिए नियमानुसार निर्धारित उस होल्डिंग का 75 प्रतिशत होगा। परन्तु कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों के लिए होल्डिंग कर का निर्धारण किया जाता है तो उसका अनुसार होल्डिंग कर देय होगा।

परन्तु क्रमांक-(X) में वर्णित होल्डिंग, जो पूर्णतः धार्मिक उद्देश्यों के उपयोग में लाई जा सकता है कर से पूर्णतः मुक्त होगी।

5. कार्यट क्षेत्र की गणना पद्धति :

- 5.1 किसी भी धृति की वार्षिक किसाया मूल्य की गणना वारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 20 धारा 152 उप धारा (6) में निर्धारित कार्यट एविया की गणना के सिद्धान्तों के अनुसार की और यह गणना वर्गीकीट या वर्गीटर में की जा सकेगी, जिसे नजदीकी वर्गीकीट या उस शउण्ड अप किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि पेट्रोल पम्प के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे भूमिगत क्षेत्र या

परन्तु यह भी संचार/मोबाइल टावर और उसकी सहायक मशीनों के हारा आधारित किसी प्रकार के क्षेत्र को धृति कर की गणना के लिए कॉर्पेट एरिया माना जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी होलिडंग, भवन का हर ऐसा हिस्सा, जिस पर विज्ञापन के बोर्ड या होर्डिंग लगाए जाते हैं, को कॉर्पेट एरिया की गणना के लिए सम्मिलित किया जाएगा।

5.2 परन्तु यह भी कि यदि कोई सम्पत्ति या धृति बन्द पायी जाती है और किसी भी कारणवश उसके कॉर्पेट एरिया की नापी लेना संभव नहीं हो तो नगरपालिका उस होलिडंग के लिए एरिया को 75 प्रतिशत को कॉर्पेट एरिया मानकर वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित करेगी जबतक कि उस होलिडंग की पूर्णतः नापी न ले ली जाए।

6. वार्षिक किराया मूल्य तथा प्रति वर्गफीट किराया दर निर्धारित करने की शक्ति :

6.1 किसी होलिडंग का प्रति वर्ग फीट किराया दर नगरपालिका के हारा समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जायेगी और ऐसे निर्धारण में धृति की अवस्थिति, उसके निर्माण का प्रकार और अन्य दिनुम्बर भी राज्य सरकार भविष्य में निर्धारित करेगी, को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

6.2 उपर्युक्त नियम-6.1 के आलोचा में नगरपालिका सर्वप्रथम कम से कम 3 प्रधान मुख्य सड़क का चयन करेगा। प्रत्येक चयनित प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित कम से कम 3 वार्षिक आर०सी०सी०/आर०बी० छत वाला पवका मकान को चयनित करेगा। उक्त भवनों को घिनित करने के उपरांत झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 के आलोक में नियंत्रक द्वारा प्रति वर्गफीट किराया दर निर्धारित करने की कार्रवाई 45 दिनों के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।

इस प्रकार प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित आर०सी०सी०/आर०बी० छत वाला पवका मकान का प्रति वर्गफीट किराया दर का निर्धारण किया जायेगा।

6.3 उपर्युक्त विधि 6.2 के अनुसार प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क एवं अन्य सड़कों पर अवस्थित सभी प्रकार की धृतियों का प्रति वर्गफीट किराया दर का निर्धारण किया जायेगा।

6.4 किसी भी धृति का वार्षिक किराया मूल्य धृतियों के कॉर्पेट एरिया तथा प्रति वर्गफीट अधार एवं गोट्टे की लप में निर्धारित प्रतिवर्गफीट किराया दर, जो उपर्युक्त उप नियम 1.2.3 में घिनित है, के गुणक के लप में की जायेगी तथा ऐसे निर्धारण में अधिनोग के प्रकार एवं गैर-आवासीय धृति के लिए नियम-4 में निर्धारित गुणक के आधार पर किया जायेगा।

उदाहरण, वास्तविक किराया मूल्य = कॉर्पेट क्षेत्र X प्रति वर्गफीट किराया दर X अधिनोग गुणक /
(1 या 1.5, नियम-3.1.4 के अनुसार) X नियम- 4 में घिनित

7. धृति कर की दर :

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 152 (8) के आलोक में किसी धृति के वार्षिक किराया मूल्य के 2.5 प्रतिशत को आधार पर धृति कर का निर्धारण किया जाएगा।

8. सम्पत्ति करों में संशोधन :

नगरपालिका वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर अधिनियम में निर्धारित सीमा के अधीन करों का निर्धारण कर वसूली कर सकेंगी तथा वार्षिक किराया मूल्य की दर को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद संशोधित कर सकेंगी।

परन्तु कोई भी नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार की पर्याप्ति नहीं

(३६)

९. खाली भूमि पर देश कर : किसी शहरी स्थानीय निकाय के भीतर अवस्थित गैर कृषि उपयोग वाले जाने याती सभी खाली भूमि पर निम्न रीति से धृति कर लगाया जायेगा—

(शाशि प्रति वर्गमीटर वाली दर रु.)

| क्रमांक | नगर निकाय | प्रधान मुख्य सड़क | मुख्य सड़क | अन्य | किसी भी सड़क से अवस्थित भूमि |
|---------|------------|-------------------|------------|------|------------------------------|
| 1 | नगर निगम | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1000 रु० प्रति एकड़ |
| 2 | नगर परिषद | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 500 रु० प्रति एकड़ |
| 3 | नगर पंचायत | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 250 रु० प्रति एकड़ |

परन्तु यह कि खेल का गैदान और सरकारी भूमि पर कोई कर देय नहीं होगा।

10. पुनर्निर्धारण :

- 10.1 नगरपालिकाओं द्वारा धृति कर का सामान्य पुनरीकाण हर 5 वर्षों पर एक बार किया जाएगा, जिसमें सड़कों का वर्गीकरण, उपयोग और आवासीय उपयोग के प्रकार, दखल तथा कोई प्राप्ति परिवर्तित घटक का पुनर्निर्धारण तथा धृति कर की दरों का पुनरीकाण शामिल है।

परन्तु यह कि शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा सरकार के माध्यम से समय-समय पर सम्पत्ति कर पर्वद के द्वारा दिए गए परामर्श का अनुपालन किया जाएगा।

11. धृति कर मांग :

- 11.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धृति कर का भुगतान वैमासिक देय होगा।

प्रत्येक नगरपालिका धृति दर की लागू दरों एवं उसकी संगति पद्धति, जिस नगरपालिका में जागा कराना, नागरिकों के लिए अपेक्षित हो, का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में करेगी।

- 11.2 नगरपालिका धृति करों एवं अन्य दरों का संग्रहण अधिसूचित बैंकों, इलैक्ट्रॉनिक्स संग्रहण द्वारा अथवा फ्रैंचाइजी के माध्यम से भी कर सकेगी।

- 11.3 मतिन बस्तियों में अवस्थित वैसी सभी डोपड़ियाँ या कच्ची आवासीय ईकाइयाँ, जिनका कुल पूरी दर 250 वर्गमीटर से या उससे कम, धृति कर से मुक्त रहेंगी।

12. धृति कर रियायत एवं शास्ति :

- 12.1 यदि किसी वर्ष के लिए देय सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूरे दिया जाता है, तो कर दाता को 5 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी।

- 12.2 किसी देश धृति कर को नियम-11.1 में निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर या उसके पूर्व नहीं भुक्त होता है, तो एक प्रतिशत प्रतिमाह दरी दर से साधारण ब्याज देय होगा।

- 12.3 नगरपालिकाएँ विशेष परिस्थिति में, जिसका लिखित उल्लेख किया जाएगा, सरकार ने अनुमोदनोपरान्त किसी प्रकार के धृति धारक या कर दाता के द्वारा देय ब्याज की राशि के हिस्से को माफ कर सकेंगी।

- 12.4 किसी व्यक्ति, जिस पर किसी वित्तीय वर्ष के एक अक्टूबर को सम्पत्ति कर का बकाया रहत है, से शास्ति की बसूली के साथ-साथ नियमों और उपनियमों में बकायादारों से बसूली के लिए विहित प्रावधानों का उपयोग भी नगरपालिकाएँ कर सकेंगी।

स्व-घोषणा / स्त-निर्धारण :

- 13.1 प्रत्येक करदाता धृति के नालिक की जिम्मेदारी होगी कि वे किसी मांग सूचना की प्रतीक्षा किए बिना अपने धृति की धृति कर कर का स्वनिर्धारण कर उसका भुगतान नगरपालिका को करे।
- 13.2 प्रत्येक धृतिधारी / करदाता के द्वारा स्वघोषणा एवं स्वनिर्धारण की योजना का पालन धृति कर की गणना एवं भुगतान हेतु किया जाएगा।
- 13.3 इस नियमावली की अधिसूचना के पश्चात शीघ्रताप्रीय, किन्तु छः माह की अवधि के भीतर, धृति कर के स्वनिर्धारण की व्यवस्था लागू की जाएगी तथा इस प्रयोजन हेतु नगर विकास विभाग के द्वारा स्वनिर्धारण प्रपत्र विहित किया जाएगा तथा स्वनिर्धारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत होंगे।
- 13.4 गर्भि किसी धृति का नालिक या कर दाता सम्पत्ति कर के निर्धारण हेतु अनिवार्य तथ्यात्मक जानकारी को जान-बूझकर छिपा ले या सम्पत्ति कर का निर्धारण कम करा को दे तो वैसा व्यक्ति स्व निर्धारण कर एवं वास्तव में भुगतान कर की अन्तर राशि तथा उस पर एक सौ प्रतिशत शास्ति का दायी होगा।

अनिवार्य घोषणा :

- (1) हर उस धृति का स्वामी, जिसकी धृति का धृति कर निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ हो, इन नियमों को अधिसूचित होने के तीन माह के अन्दर अपनी धृति का स्वनिर्धारण करते हुए धृति कर की गणना करेगा तथा धृति कर का भुगतान नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित नगरपालिका को बताएगा।

परन्तु कोई कर दाता विहित समय के अन्दर नगरपालिका को धृति का स्वनिर्धारण कर भुगतान करने में असफल रहता है तो आवासीय सम्पत्ति पर दो हजार रुपया (2,000.00) और अन्य सभी सम्पत्तियों पर पाँच हजार (5,000.00) जुर्माना भुगतान होगा।

- (2) प्रत्येक कर दाता, जो भूमि और धृति पर धृति कर भुगतान के लिए दायी है, को ऐसी भूमि एवं धृति के अर्जन के तीन माह के अन्दर नगरपालिका को सूचना देनी होगी।

सूचना देने में विफल रहने पर वह सम्पत्ति के अर्जन की तिथि से सूचना को छिपाने के कारण देय बकाये पर एक सौ प्रतिशत शास्ति के साथ निर्धारण का दायी होगा।

धृति कर के बकाए में छूट :

- 15.1 डारखण्ड सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के द्वारा, कोई भी नगरपालिका इस नियमावली के लागू होने के बाद धृति कर के बकाए में छूट की घोषणा नहीं कर सकेगी।

धृति कर बकाए का अपलेखन :

- 16.1 यदि तीन वर्षों के अधक प्रयास के उपरान्त भी देय राशि पूर्ण नहीं हो पायी हो तो नगरपालिका धृति कर के विनिर्दिष्ट अवसूलनीय बकाये का अपलेखन सरकार के लिखित पूर्वानुमति के पश्चात कर सकेगी।

- 16.2 नगरपालिका अवसूलनीय बकाये के पूर्ण न हो पाने का पूरा औचित्य दर्शाएगी।

नगरपालिका द्वारा करों की वसूली :

प्रत्येक नगरपालिका धृति कर बकाए का भुगतान और वसूली सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा-184 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के प्रावधानों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर सकेगी।

(६) ८

संघर्षित सम्पत्ति कर इन इमारतों/ घौंचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करेगा और अपने मालिकों/ दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करेगा।

19. "झारखण्ड सम्पत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013" के प्रभावी होने का निम्नलिखित नियमावलियों को निरसित किया जाता है :

- (अ) निर्धारण, मांग, धृति का संग्रहण, मल और जल कर और धृति के वार्षिक किराया मूल्य बिहार नगरपालिका लेखा (करों की वसूली) नियमावली, 1951, (अंगिकृत),
(ब) धृति के वार्षिक किराया मूल्य निर्धारण नियमावली, 1903 (अंगिकृत) और
(स) राँची नगर निगम लेखा (करों की वसूली) नियमावली, 1963 (अंगिकृत)।

20. राज्य सरकार की शक्ति (कठिनाई नियारण) :

इस नियमावली को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो उस भाग के नियमावली के उपर्योगों के संगत कोई निदेश जारी करने के लिए नगर विकास विभाग, झारखण्ड राज्य होगा।

21. निरसन एवं व्यावृति :

इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से सभी प्रासांगिक संकल्प/ परिपत्र/ निर्णय इन समझे जायेंगे।

इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इससे संबंधित लिये गये निर्णय के संबंध में यह जायेगा कि सभी निर्णय इस नियमावली के अध्यादीन लिये गये हैं।

(विजय कुमार चिह्न)
सरकारी संचय,
नगर विकास विभाग।